

आदेश.

3346
21/1/15
22/1/15

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं पर्यावरण एवं
मनाज्य राज्य सरकार के पत्रा द्वारा निम्नलिखित मोटर मार्गों हेतु प्रस्तावित दंगुनी सिविल भूमि
के वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सहायिकी
स्वीकृति निम्नानुसार निम्न की गयी है।

क्र. सं.	योजना का नाम	गांव/ पट्टी का नाम	दंगुनी भूमि का क्षेत्रफल	सिविल	सौद्धान्तिक स्वीकृत निर्गत पत्र संख्या
1	सिलानी-चिमतौली-जमतडी मोटर मार्ग	चौगांव/कवीतड	5.220 है०		121/X-4-15/1(33)/2015 दिनांक 27.03.2015
2	एसौली-जाखपुरान मोटर मार्ग	मारों/सुकोली	5.940 है०		174/X-4-15/1(85)/2015 दिनांक 01.04.2015
3	चण्डाक-मैईला-तडीगांव मोटर मार्ग	तडीगांव/धनौडा	3.870 है०		157/X-4-15/1(64)/2015 दिनांक 30.03.2015
4	काटेगांव-सेरीकाण्डा	गोगना/गोगना	9.660 है०		152/X-4-15/1(63)/2015 दिनांक 30.03.2015
योग-			24.690 है०		

राजरव अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार उक्त क्रमांक 01 एवं 04 में अंकित मोटर मार्ग निर्माण में आ रही वन भूमि के बदले उप जिलाधिकारी पिथौरागढ़ की सहमति/संस्तुति के आधार पर उक्त ग्रामों की कुल 24.690 है० सिविल, वृक्षविहिन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार पिथौरागढ़ स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक जुलाई 16, 2015

(सुशील कुमार)

जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या-1446/सात-95/2014-15

दिनांक जुलाई 20 2015

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. प्रभारगीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
 2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
 3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
 4. उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
 5. तहसीलदार पिथौरागढ़ को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

AE#1/12/15/अन L.N. 3346/22/सात, 12. 22/1/15

वृत्त कार्य
नापिकाई करे.

(सुशील कुमार)

जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

उद्घरण खेतोंनी नीर ज० के० ग्राम तडागाँव पडा धनीडा तेहसील के जिला पिथौरागढ़
श्रेणी - ६(३) ड० कृषि योग्य क्षेत्र भूमि :-

खेत संख्या	नाम स्वामिदार	खेत संख्या	रकबा	विवरण
35	कंजर का० का० ख०	३	०.००५	
		४	०.००५	
		६	०.७०२	
		१६	०.४२१	
		१७	०.०७१	
		३४	०.०४८	
		४२	०.००८	
		६१	०.००३	
		६३	०.००४	
		७६	०.००५	
		८०	०.०१६	
		८२	०.००३	
		आदि खेत नम्बरान्		
		७८१	०.२१६	
		७८३	०.२४१	
		✓ ७८७	०.३८१	
		✓ ७८८	०.२४१	
		✓ ८०१	२.१०१	
		८०३	१.०४३	
		८०७	०.४११	
		८१४	०.०७०	
		८१८	०.०३५	
		✓ ८२०	२.३८७	
		✓ ८२१	०.३६१	
		८३७	०.०३३	
		८३८	०.४७१	
		आदि खेत नम्बरान्		
		३७४१	०.१४४	
		३७४३	०.१८६	

योग ३८७ ४४.४८५

उद्घरण खेतोंनी असल से नकल किया।

प्रशासीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

उप प्रशासीय वनाधिकारी

तहसीलदार
पिथौरागढ़

18/01/2015
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र धनीडा
तहसील पिथौरागढ़
जिला - पिथौरागढ़

हम समस्त ग्रामवासी तडीगाँव व लोक भेला यहाँ धनेश्वर तहसील एवं जिला विधीभाग वाको निम्न हस्ताक्षरित कर यह लिखित रूप में चण्डाक मैडना तडीगाँव मोटर मार्ग में पडने वाली राज्य सरकार की भूमि लोक निर्माण विभाग विधीभाग को पर्यावर्तन दे रहे हैं जो ग्राम तडीगाँव में 4.00 हे० राज्य सरकार की भूमि में वृक्षारोपण किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

- 1- ...
- 2- ...
- 3- ...

4- ...
 (5) ...

(6) ...

(7) ...

(8) ...

(9) ...

(10) ...

(11) ... (सहपत्र)

(12) ...

(13) ...

(14) ...

(15) ...

(16) ...

(17) ...

(18) ...

...



(21) ...

(22) ...

(23) ...

(24) ...

(25) ...

(26) ...

(27) ...

(28) ...

(29) ...

(30) ...

(31) ...

(32) ...

(33) ...

(34) ...

(35) ...

- (37) राम सिंह
- (38) Singh
- (39) किरन राम
- (40) Mohanpandey
- (41) Singh
- (42) गजेंद्र राम
- (43) श्रीवाण सिंह
- (44) Aditya
- (45) Singh
- (46) Singh
- (47) Singh
- (48) गोविन्द सिंह
- (49) जारायण सिंह
- (50) Sulecha
- (51) महेंद्र सिंह
- (52) रामकृष्ण सिंह
- (53) Singh
- (54) Singh
- (55) - अमित